न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्याः– 102/2003
आरसीएमएस नं. :–2003/00028

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार/राजस्व/ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
––अपीलार्थी

बनाम

1. दुलीचन्द
2. औमप्रकाश } पि0 मेहरचन्द जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा
3. मेहरचन्द पुत्र श्री डालूराम जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा।

–– रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी भादरा, दिनांक 04.01.2003, प्र. सं. –/–
अनवान दुलीचन्द बनाम मेहर चन्द

उपस्थितिः–
श्री राजेश कौशिक, राजकीय अभिभाषक अपीलार्थी

निर्णय दिनांक 10.XI.22

1. यह प्रकरण वर्ष 2003 से विचाराधीन चल रहा है। लगभग 19 वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी काफी प्रयासों के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नहीं आया है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्देशानुसार पुराने प्रकरणों का निस्तारण किया जाना आवश्यक है। इसलिए प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद पेश किया जिमसें कथन किया कि चक नं. 9 ए.एम.एस. 13 ए.एम.एस. व चक नं. 2 बी.बी.एस की वर्णित भूमि प्रतिवादी मेहरचन्द के नाम दर्ज है को वादीगण व प्रतिवादी तीनों को लगभग 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। विचारण न्यायालय ने वाद वादी स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
3. राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।
4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि गैर खातेदारी दर्ज थी जो कभी भी रेस्पोडेण्ट के कब्जा काश्त में नहीं रही है। जिसे

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

रेस्पोडेण्ट के नाम खातेदारी दर्ज करने का अधीनस्थ न्यायालय को कोई अधिकार नही है। रेस्पोडेण्ट ने अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह कतई साबित नही किया है कि सम्वत 2012 से पहले उक्त भूमि पर उनका कब्जा काश्त हो, इसके अभाव में रेस्पोडेण्ट को खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य पेश करने का अवसर नहीं दिया एवं कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। अपीलाण्ट को धारा 80 सीपीसी का नोटिस नहीं दिया गया है। पत्रावली विधिक परीक्षण के हेतु जिला कलक्टर कार्यालय में चली गई थी इसलिए नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः देरी क्षमा की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख काफी प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं हुआ है। अपीलाण्ट ने अपील में ग्राम 13 एएमएस एवं 2 बीबीएम की जमाबंदीयों की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है जिनेमें मेहचन्द पुत्र डालू जाति जाट सा0 साहूवाला बतौर खातेदार दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि रेस्पोडेण्ट की खातेदारी भूमि है परन्तु प्रश्नगत भूमि पर कब्जा काश्त के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायलाय ने प्रश्गनत भूमि के खातेदारी अधिकार रेस्पोडेण्ट को प्रदान किये हैं लेकिन अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.01.2003 निरस्त किये जाते हैं एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुन कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 10.XI.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10.XI.22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपील अधिकारी हनुमानगढ़